HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7961/2026
CNR: RJHC010578782026
URN: CRLMB / 17375U / 2026

Swaroop Singh S/o Ratan Singh, Aged About 25 Years, R/o Nimblana Police Station Bishangarh District Jalore (Presently Lodged In Central Jail Jodhpur)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Pp
2. Sureshchand, S/o Gopallal, Resident of Makan No 86 Rajeev Gandhi Colony Kudi Bhagtasani District Jodhpur

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Dhirendra Singh Sr. Adv. Assisted by Ms. Priyanka Borana
For Respondent(s)	:	Ms. Sonu Manawat, PP None present for res no. 2 despite service

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

13/07/2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिसथाना **कुड़ी भगतासनी, जिला जोधपुर पश्चिम** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **126/2026,** अपराध अन्तर्गत धारा **64(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 5(1)/6 पोक्सो अधिनियम, धारा 3(1)(w)(i), 3(2)(v) एससी/एसटी अधिनियम** मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि इस मामले में पीड़िता के धारा 180, 183 बीएनएसएस के बयान से स्पष्ट है कि इन्स्टाग्राम से दोस्ती होने अपनी मर्जी से प्रार्थी/अभियुक्त के जाना व शारीरिक संबंध बनाने का उल्लेख किया है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी/अभियुक्त जबरदस्ती भगाकर ले गया हो और जबरन संबंध बनाया गया हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। विचारण में

समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। पीड़िता के धारा 180, 183 बीएनएसएस के बयान का अवलोकन किया। आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **स्वरूपसिंह पुत्र रतनसिंह** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

23/SN Lohra/336